PRESS RELEASE

UPERC releases new Cost Data Book 2025 fixing rates of various charges (including Processing Fee, Security Deposit, Supply Affording Charges, Material Costs, Smart Meter Costs etc) for supply of electricity to consumers.

No estimates for new connection (except PTW) will be required to be prepared for distances upto 300m and load upto 150 KW.

Fixed Supply Affording Charges eliminate discretion in estimate preparation and facilitate faster release of new connections

Interests of Lifeline Consumers protected

Farmers can now avail supply through independent 3-phase 16 KVA transformer or single phase 10KVA transformer.

1. In accordance with the provisions of sections 43,46 and 47 of the Electricity Act, 2003, UPERC has approved the Cost Data Book (CDB) today. The CDB 2025 fixes rates of various charges (including Processing Fee, Security Deposit, Supply Affording Charges, Material Costs, Smart Meter Costs etc) which the DISCOMs can recover for creation/extension of distribution network for supply of electricity to consumers. The CDB was last revised on 8th July 2019. The revision was necessitated to take into account changes in various material and labour costs for supply of electricity during this period.

2. In accordance with sub-rule 13 of Rule 4 of Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 and to avoid delay in release of new connections and to eliminate the requirement of site inspection and preparation of estimates for each and every case individually, Commission has fixed 'Supply Affording Charges' for all category of connections (except PTW) upto 150 kW in electrified areas. Estimates will not be required to be prepared for distances from distribution main upto 300m. Earlier estimates were required to be prepared for all connections beyond 40m distance.

3. Lifeline Consumers (For distance upto 100 meter) have been provided with an option to pay the Supply Affording Charges partly through upfront payment of

Rs 500/- and the balance through equated monthly installments of Rs. 45/- in electricity bill for 12 months from the date of connection.

4. Processing Fee and Security Deposit revised. Nil security deposit provided for Lifeline Consumers.

5. Cost of AMI Compatible Smart Meters chargeable to the consumers determined for all categories of consumers. Cost of Single Phase Smart Meter has been fixed at Rs 2800/- and Three Phase Smart Meter has been fixed at Rs 4100/-. Labour and Overhead charges have also been rationalized.

6. Cost associated with the development and operation of the Advanced Metering Infrastructure (AMI) ecosystem is not to be recovered from the new consumers being already provided for in RDSS.

7. New applicants for single phase connection have been provided option to pay the meter cost of Rs 2800/- in two parts – Rs. 1000/- at the time of application and balance in 24 EMIs of Rs. 84/-. Given an option to pay in full to save interest costs.

8. The shared cost of transformation payable by the PTW consumers receiving connection from same 25kVA transformer retained at 33.3% instead of 50% as proposed.

9. Costs approved for PTW consumers willing to take independent 3-phase connections through 16 KVA transformer or single phase connection through 10KVA transformer.

10. Arrangement of armoured service cable to be made by the consumers, for connections upto 50kW (56 kVA), barring exceptional circumstances.

11. Schedules for metering charge in case of 'Underground Services' also provided, similar to the Cost Data Book of 2019.

12. Provision for payment of 'security', for amount exceeding Rupees 20,00,000, by way of Bank guarantee/e-Bank Guarantee, if consumer so desires.

13. Schedule for 3-Phase connections provided for loads of 3kW & 4kW in line with the provision of the Tariff Order dated 22.11.2025 has been added in the Chapter-5A 'Metering Charge and Supply Affording Charge'.

14. Residents of Undeveloped/Unelectrified colonies to pay only metering charges as cost of infra has already been provided to be recovered through per sqft Development charges.

15. Similar dispensation given for multipoint connections in multistoried buildings.

16. The limit for load that can be released on 11kV Voltage has been increased to 4 MVA from 3 MVA in conformity with the provision under 13th Amendment to the Supply Code, 2005.

17. Although the Cost Data Book shall remain valid for 02 years from the date of its issue, however an escalation percentage equivalent to change in WPI of the previous 12 months has been allowed only on material rates (except meter) for the second year of its validity.

18. Commission will be passing separate orders for settlement of excess charges recovered from new consumers towards smart meter costs based on these approved rates.

19. The full text of Cost Data Book is available on www.uperc.org

31/12/2025

Sumeet Kumar Agarwal
Secretary
U.P Electricity Regulatory Commission
Vidyut Niyamak Bhawan
Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow-226010

प्रेस विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने वर्ष 2025 की नई कॉस्ट डाटा बुक (CDB) जारी की है, जिसमें उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति हेतु विभिन्न शुल्कों (प्रोसेसिंग फीस, सुरक्षा जमा, सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज, सामग्री लागत, स्मार्ट मीटर लागत आदि) की दरें निर्धारित की गई हैं।

300 मीटर तक दूरी और 150 किलोवाट तक लोड के लिए नए कनेक्शन (निजी नलकूप को छोड़कर) हेतु कोई अनुमान (Estimate) तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

निश्चित सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज लागू किए गए हैं, जिससे अनुमान तैयार करने में विवेकाधिकार समाप्त होगा और नए कनेक्शन तेजी से मिल सकेंगे।

लाइफलाइन उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित।

किसान अब स्वतंत्र 3-फेज 16 KVA ट्रांसफार्मर या सिंगल फेज 10 KVA ट्रांसफार्मर के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे।

1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43, 46 और 47 के प्रावधानों के अनुसार, UPERC ने आज कॉस्ट डाटा बुक (CDB) को मंजूरी दे दी है । CDB 2025 विभिन्न शुल्कों (प्रोसेसिंग शुल्क, सुरक्षा जमा, आपूर्ति वहन शुल्क, सामग्री लागत, स्मार्ट मीटर लागत आदि सहित) की दरें निर्धारित करता है, जिन्हें डिस्कॉम उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण नेटवर्क के निर्माण/विस्तार हेतु वसूल सकते हैं । CDB को पिछली बार 8 जुलाई 2019 को संशोधित किया गया था । इस अवधि के दौरान बिजली की आपूर्ति के लिए विभिन्न सामग्री और श्रम लागतों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखने के लिए यह संशोधन आवश्यक था।

2. विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के नियम 4 के उप-नियम 13 के अनुसार और नए कनेक्शन जारी करने में होने वाले विलंब से बचने के साथ-साथ प्रत्येक मामले में व्यक्तिगत रूप से साइट निरीक्षण और अनुमान (एस्टीमेट) तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए, आयोग ने विद्युतीकृत क्षेत्रों में 150 kW तक के सभी श्रेणियों के कनेक्शन (निजी नलकूप को छोड़कर) के लिए 'आपूर्ति वहन शुल्क' (Supply Affording Charges) निर्धारित किया है । वितरण मेन से 300 मीटर तक की दूरी के लिए अनुमान तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्व में 40 मीटर से अधिक दूरी पर सभी कनेक्शनों के लिए अनुमान आवश्यक था।

3. लाइफलाइन उपभोक्ताओं (100 मीटर तक की दूरी के लिए) को आपूर्ति वहन शुल्क (Supply Affording Charges) का भुगतान आंशिक रूप से ₹500 के अग्रिम भुगतान के माध्यम से और शेष राशि को कनेक्शन की तिथि से 12 महीनों तक बिजली के बिल में ₹45 की समान मासिक किस्तों (EMIs) के माध्यम से करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

4. प्रोसेसिंग शुल्क और सुरक्षा जमा (Security Deposit) को संशोधित किया गया है। लाइफलाइन उपभोक्ताओं के लिए शून्य सुरक्षा जमा का प्रावधान किया गया है।

5. एएमआई-संगत स्मार्ट मीटरों की लागत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित की गई है। सिंगल फेज स्मार्ट मीटर की कीमत ₹2800 और थ्री-फेज स्मार्ट मीटर की कीमत ₹4100 तय की गई है । इसके अतिरिक्त, श्रम और ओवरहेड शुल्क को भी तर्कसंगत बनाया गया है ।

6. एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (AMI) के विकास एवं संचालन से संबंधित लागत नए उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की जाएगी, क्योंकि इसका प्रावधान पहले से ही RDSS के अंतर्गत किया जा चुका है।

7. सिंगल-फेज कनेक्शन के नए आवेदकों को मीटर लागत ₹2800 का भुगतान दो भागों में करने का विकल्प दिया गया है—आवेदन के समय ₹1000 तथा शेष राशि 24 समान मासिक किस्तों में ₹84 प्रति माह। ब्याज लागत से बचने हेतु पूर्ण भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध है।

8. एक ही 25kVA ट्रांसफार्मर से कनेक्शन प्राप्त करने वाले पीटीडब्ल्यू (PTW) उपभोक्ताओं द्वारा देय रूपांतरण की साझा लागत (shared cost of transformation) को प्रस्तावित 50% के बजाय 33.3% पर बरकरार रखा गया है ।

9. स्वतंत्र 3-फेज 16 केवीए ट्रांसफॉर्मर या सिंगल-फेज 10 केवीए ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से कनेक्शन लेने के इच्छुक PTW उपभोक्ताओं के लिए लागत स्वीकृत की गई है।

10. अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर, 50kW (56 kVA) तक के कनेक्शन के लिए आर्मर्ड सर्विस केबल (armoured service cable) की व्यवस्था उपभोक्ताओं द्वारा की जानी है ।

11. अंडरग्राउंड सर्विसेज के मामलों में मीटरिंग शुल्क हेतु 2019 की कॉस्ट डेटा बुक के समान अनुसूचियाँ भी प्रदान की गई हैं।

12. ₹20 लाख से अधिक की सुरक्षा राशि के भुगतान हेतु उपभोक्ताओं को बैंक गारंटी / ई-बैंक गारंटी के माध्यम से भी भुगतान का विकल्प दिया गया है।

13. दिनाँक 22.11.2025 के टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुरूप 3kW और 4kW के भार के लिए 3-फेज कनेक्शन का शेड्यूल अध्याय-5A 'मीटरिंग शुल्क और आपूर्ति वहन शुल्क' (Metering Charge and Supply Affording Charge) में जोड़ा गया है ।

14. अविकसित/गैर-विद्युतीकृत कॉलोनियों के निवासियों को केवल मीटरिंग शुल्क का भुगतान करना होगा, क्योंकि बुनियादी ढांचे (infrastructure) की लागत को पहले से ही प्रति वर्ग फुट विकास शुल्क के माध्यम से वसूलने का प्रावधान किया गया है ।

15. बहुमंजिला भवनों में मल्टी-पॉइंट कनेक्शनों के लिए भी समान व्यवस्था प्रदान की गई है।

16. सप्लाई कोड, 2005 के 13वें संशोधन के प्रावधान के अनुरूप 11kV वोल्टेज पर जारी किए जा सकने वाले लोड की सीमा को 3 MVA से बढ़ाकर 4 MVA कर दिया गया है ।

17. यद्यपि कॉस्ट डाटा बुक (CDB) जारी होने की तिथि से 02 वर्षों तक मान्य रहेगी, तथापि इसकी वैधता के दूसरे वर्ष के लिए केवल सामग्री दरों (मीटर को छोड़कर) पर पिछले 12 महीनों के डब्ल्यूपीआई (WPI) में परिवर्तन के बराबर प्रतिशत में वृद्धि की अनुमति दी गई है।

18. नए उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर के मद में इन स्वीकृत दरों से अतिरिक्त वसूल की गई राशि के निपटान हेतु आयोग द्वारा पृथक से आदेश पारित किया जायेगा।

19. कॉस्ट डाटा बुक का पूरा विवरण www.uperc.org पर उपलब्ध है ।

31/12/2025

सुमीत कुमार अग्रवाल
सचिव
उ०प्र०वि०नि०आ०